वित्तीय स्वीकृति/आयोजनेत्तर

संख्याः- 306/XVII-3/2009-01(बजट)/2008

प्रेषक,

मनीषा पंवार

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,

उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग,

देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग-3 देहरादून दिनांक 21 अप्रैल, 2009

विषयः -चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक में समाज कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या-15 के आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशियों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 205/XXVII(1)/2009 दिनांक 25 मार्च, 2009 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2009-10(01 अप्रैल, 2009 से 31 जुलाई, 2009 तक) के आय-व्ययक में समाज कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या-15 के आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न मदों मे प्राविधानित धनराशियों को संलग्नक के अनुसार **रुपये 16,54,000/- (रुपये सोलह लाख चौव्वन हजार मात्र)** की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 में वित्त विभाग के उक्त शासनादेश में प्राविधानित एवं निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्याः 205/XXVII(1)/2008 दिनांक 25 मार्च, 2008 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
3. आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित अन्य धनराशियों हेतु नियमानुसार औचित्यपूर्ण मांग प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
4. छठे वेतन आयोग के संस्तुतियों के लागू होने के पश्चात वित्तीय वर्ष 2009-10 में देय 30 प्रतिशत एरियर की धनराशि, जो कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि खाते में डाली जानी है, का भुगतान 01 अप्रैल, 2009 से 31 जुलाई, 2009 तक के लेखानुदान तथा प्राविधानित धनराशि से नहीं

किया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष 2008-09 में देय 40 प्रतिशत वेतन एवं भत्तों के एरियर की धनराशि यदि किसी कारणवश सामान्य भविष्य निधि खाते में नहीं डाली जा सकती हो तो उसका भुगतान भी माह जुलाई, 2009 के बाद ही किया जायेगा। यह प्रतिबन्ध सेवानिवृत्ति होने वाले अथवा अन्य कारणों से सेवा में बने न रहने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में नहीं रहेगा।

5 अनुदान के अंतर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।

6. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।

7. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।

8. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आंवटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल में दाहिनी ओर लाल स्याही से अनुदान संख्या-15 तथ आयोजनागत शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

9. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।

10. मितव्ययता के संबंध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

11. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की मांग का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय-सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।

14. समस्त चालू निर्माण कार्य, नए निर्माण कार्य, उपकरण व संयंत्र का क्रय, वाहन का क्रय एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टेयर का क्रय की स्वीकृतियों के लिए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को पृथक से उपलबध कराएं।

15. बी0एम0-13 पर संकलित मासिक सूचनाऐं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
16. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15 के अंतर्गत संलग्न तालिका में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः- 308 /XVII-3/2009-01(बजट)/2008 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड, हल्द्वानी-नैनीताल।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
11. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(आर0 के0 चौहान)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्याः- 308 /XVII-3/2009-01(बजट)/2008,

दिनांक 21 अप्रैल, 2009 का संलग्नक

अनुदान संख्या–15 आयोजनेत्तर मतदेय

लेखाशीर्षक : 2225–03–001–04–00
मुख्य शीर्षक : 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
उप मुख्य शीर्षक : 03–पिछड़े वर्गों का कल्याण
लघु शीर्षक : 001–निदेशन तथा प्रशासन
उप शीर्षक : 04–उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन
ब्यौरेवार शीर्षक : 00–

(धनराशि हजार रूपये में)

मानक मद	आवंटित धनराशि
01–वेतन	933
03–मंहगाई भत्ता	205
04–यात्रा व्यय	30
05–स्थानान्तरण व्यय	5
06–अन्य भत्ते	100
07–मानदेय	100
09–विद्युत देय	3
10–जलकर / जलप्रभार	2
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	7
13–टेलीफोन पर व्यय	17
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	100
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	15
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	67
18–प्रकाशन	3
19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	10
22–आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	8
27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	17
42–अन्य व्यय	8
45–अवकाश यात्रा व्यय	17
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	7
योग	1654

(रूपये सोलह लाख चौव्वन हजार मात्र)

(मनीषा पंवार)
सचिव